

आरक्षित
ए.एफ.आर.

कोर्ट न०- 4

वाद- रिट सी संख्या - 39872/2018

याचिकाकर्ता - बृज कुमार सिंह

प्रतिवादी-यूपी राज्य एवं अन्य.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्री बिधान चंद्र राय, श्री एम.सी. चतुर्वेदी

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: सी.एस.सी., श्री कृष्ण मोहन अस्थाना, श्री सतीश चतुर्वेदी, श्री मोहनजी श्रीवास्तव, श्रीमती।एस राठी।

माननीय न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण

माननीय न्यायमूर्ति रवी नाथ तिलहरी

माननीय न्यायमूर्ति बाला कृष्ण नारायण द्वारा दिया गया

1. याचिका कर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.सी. राय, प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 के लिए विद्वान अपर महाधिवक्ता, उ.प्र. श्री एम.सी. चतुर्वेदी के सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनजी श्रीवास्तव, अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या- 4 के लिये श्रीमती एस. राठी, को सुना।

2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6, लखनऊ/प्रतिवादी संख्या 1 और ई-निविदा सूचना दिनांक 11.10.2018 द्वारा पारित अनुलग्नक संख्या 17 में निहित दिनांक 06.08.2018 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की रिट जारी करें। जैसा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी अनुलग्नक संख्या 19 में निहित है। तहसील एवं जिले मुरादाबाद के ग्राम शाहपुर तिगरी में स्थित गाटा संख्या 02 (2 ए एवं 2 बी) पर आवासीय कॉलोनी के विकास हेतु बोली आमंत्रित की गयी;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ii. गाटा संख्या 2 ए (क्षेत्र 40523.93 वर्ग मीटर) और 2 बी (क्षेत्रफल 2063.97 वर्ग मीटर), कुल क्षेत्रफल 42587.96 वर्ग मीटर राजस्व ग्राम- शाहपुर, तिगरी, तहसील-मुरादाबाद, जिला-मुरादाबाद में स्थित के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता के नाम की प्रविष्टि को बहाल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि सीमा, मुरादाबाद को निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

iii. परमादेश की रिट की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रत्यर्थियों को राजस्व गांव- शाहपुर, तिगरी, तहसील-मुरादाबाद, जिला-मुरादाबाद में स्थित गाटा संख्या 2 ए और 2 बी पर याचिकाकर्ता के वास्तविक भौतिक कब्जे में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया जाए;

iv. ऐसी अन्य और आगे की रिट के लिये आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय के लिये मामले की परिस्थितियों में उचित हो; और

v. रिट याचिका के अधिनिर्णय की लागत।

3. इस मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता का भूखंड गाटा संख्या 2 ए (क्षेत्रफल 40523.93 वर्ग मीटर) और 2 बी (क्षेत्रफल 2063.97 वर्ग मीटर), कुल क्षेत्रफल 42587.96 वर्ग मीटर राजस्व ग्राम- शाहपुर, तिगरी में स्थित है। तहसील-मुरादाबाद, जिला-मुरादाबाद (इसके बाद 'प्रश्नाधीन भूमि' के रूप में संदर्भित) को शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत अधिशेष घोषित किया गया था, जिसे इसके बाद 'प्रधान अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने रिट याचिका संख्या 19264/1993 के माध्यम से कार्यवाही को चुनौती दी, जिसमें इस न्यायालय ने 7.6.1993 को एक अंतरिम आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता को विचाराधीन भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। आदेश दिनांक 14.10.1993 द्वारा उक्त अंतरिम आदेश जारी प्रस्तुत किया गया। इस बीच, मुख्य अधिनियम निरस्त कर दिया गया। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपने फैसले दिनांक 21.9.2001 द्वारा मूल अधिनियम के तहत कार्यवाही को समाप्त कर दिया और उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्णय के बावजूद, याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर प्रत्यर्थियों द्वारा कोई परिणामी कदम नहीं उठाया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 4085/2006 को प्राथमिकता दी, जिसमें इस न्यायालय ने पाया कि एक संक्षिप्त प्रश्न यह तय करने की आवश्यकता है कि मूल अधिनियम के तहत कार्यवाही में वास्तविक भौतिक कब्जा लिया गया था या नहीं। खण्ड पीठ के आदेश दिनांक 23.1.2006 के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 9.5.2007 को निर्णय लिया गया। जिसमें अधिकारियों ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास भौतिक कब्जा नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. दिनांक 9.5.2007 के आदेश से असंतुष्ट, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 28150 /2007 दायर करके फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त रिट याचिका को निम्न निर्देशों के अनुमति दी गयी।

"कागज पर कब्जा एक प्रतीकात्मक कब्जा है और अधिनियम की धारा 3 की धारा (2) के खंड (ए) में प्रयुक्त शब्द 'कब्जा' का अर्थ वास्तविक भौतिक कब्जा है, न कि प्रतीकात्मक कब्जा।

1999 के अधिनियम संख्या 15 द्वारा शहरी भूमि (सीमा और विनियमन निरसन) अधिनियम 1976 को निरस्त करने के बाद, याचिकाकर्ता अधिनियम संख्या 15/1999 की धारा 3 के लाभ के हकदार हैं। याचिकाकर्ता की भूमि को निरसन अधिनियम के तहत रिक्त भूमि घोषित नहीं माना जाएगा।

ऊपर दर्ज कारणों से, तत्काल रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।"

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने एक विशेष अनुमति याचिका संख्या 12283/ 2012 दायर की, जिसमें प्रारंभ में यथास्थिति आदेश पारित किया गया था। बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद को निर्देश दिया कि वह प्रश्नाधीन भूमि के भौतिक कब्जे के संबंध में भूमि का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि याचिकाकर्ता के पास भौतिक एवं खेती योग्य कब्जा है। जिला जज ने एक रिपोर्ट सौंपी। जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"बाद में, ग्राम शाहपुर तिगरी, जिला मुरादाबाद में स्थित गाटा संख्या 2ए और 2बी 42587.93 वर्ग मीटर का भी दौरा किया गया है। उपरोक्त सभी अधिकारी एवं श्री बृज कुमार सिंह वहां उपस्थित थे। इस गाटा संख्या में कोई विकास अथवा निर्माण/आवासीय कॉलोनी नहीं है। कुल भूमि खेती योग्य भूमि के रूप में खाली पड़ी है और उक्त विवादित भूमि पर कोई फसल खड़ी नहीं है जैसा कि अमीन द्वारा तैयार किए गए मानचित्र में अनुबंध संख्या 4 के रूप में दिखाया गया है।"

6. सुप्रीम कोर्ट ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की विशेष अनुमति याचिका संख्या-30659/2010 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया:-

"ज्ञात हो कि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जिन भूखंडों पर कब्जा नहीं लिया गया है, उन पर पहले से काबिज लोगों का ही कब्जा रहेगा।

7. उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 28150/2007 में ऊपर उद्धृत निष्कर्षों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया था। उक्त तथ्य किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है कि याचिकाकर्ता का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा है। ऐसा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतीत होता है कि उपरोक्त निर्णयों के बावजूद जब प्रत्यर्थियों द्वारा कोई परिणामी कदम नहीं उठाया गया, तो याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 8789/2018 के माध्यम से फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना निम्नानुसार अवधारित किया: -

"तदनुसार, हम प्रत्यर्थियों संख्या 1, 2 और 3 को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता के साथ - साथ को सुनने के बाद कानून के अनुसार विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर विचार करें।"

8. उक्त आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी क्रमांक 1, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी योजना, उ.प्र. सरकार, लखनऊ ने डी.जी.सी.(सिविल) की राय का उल्लेख करते हुए दिनांक 06.8.2018 को आक्षेपित आदेश पारित किया। उक्त रिपोर्ट में, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी योजना, उ.प्र. सरकार, लखनऊ ने माना है कि जमीन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का कब्जा है और उन्होंने कुछ दस्तावेजों का हवाला दिया है।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने दिनांक 06.08.2018 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनदेखी की थी और यह न्यायालय जहां स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किए गए थे कि याचिकाकर्ता का विवादित भूखंड पर कब्जा था और उसने डी.जी.सी. की रिपोर्ट पर अपना निष्कर्ष दिया था और प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

10. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने दिनांक 18.12.2018 के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए माननीय शीर्ष न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) संख्या 2900/2019 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 3242/2019 दायर की, जिसे अंततः आदेश द्वारा निस्तारित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27.03.2019 को पारित किया जो इस प्रकार है:-

अनुमति प्रदान की गयी।

1. अपीलकर्ता 18.12.2018 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में की गई टिप्पणियों से व्यथित हैं।

2. मुख्य रूप से, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश यू उपाध्याय के अनुसार, उच्च न्यायालय को यह नहीं कहना चाहिए था कि "प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी योजना, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को सर्वोच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय के फैसले की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी" और जहां याचिकाकर्ता के कब्जे के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है। " अपीलकर्ताओं के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुसार इस न्यायालय ने दिनांक 04.01.2017 को एसएलपी (सी) संख्या 30658-30659/2010 में पारित आदेश के तहत कब्जे के बारे में एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया, चाहे वह याचिकाकर्ता के पास हो या प्रतिवादी के पास हो। हम पाते हैं कि इस संबंध में श्री उपाध्याय का कथन सही है

3. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एल. लाहोटी ने बताया कि उच्च न्यायालय के दिनांक 19.08.2019 के आदेश में प्रत्यर्थियों के पास कब्जा होने का संदर्भ है। हालाँकि, इसका खंडन श्री उपाध्याय ने यह कहकर किया कि उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लिखित कब्जा प्रतीकात्मक कब्जा है और वास्तविक कब्जा नहीं है। हमारे लिए कब्जे पर कोई निष्कर्ष देना जरूरी नहीं है, खासकर, क्योंकि ये अपीलें केवल अंतरिम आदेश के खिलाफ हैं। हालाँकि, हमें लगता है कि उच्च न्यायालय के आदेश में टिप्पणियाँ अंतरिम आदेश के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं थीं और मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट सी संख्या 39872/2018 में पूरे विवाद पर अंतिम निर्णय की आवश्यकता है।

4. तदनुसार, हम विवादित आदेश को रद्द करते हैं और उच्च न्यायालय से रिट सी संख्या 39872/2018 का यथाशीघ्र निपटान करने का अनुरोध करते हैं, अधिमानतः एक वर्ष से अधिक नहीं।

5. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

6. श्री एम.एल. लाहोटी ने उपरोक्त आदेश के मद्देनजर अवमानना याचिका संख्या 4646/2018 को वापस लेने की अनुमति मांगी है।

7. तदनुसार आदेश दिया गया।

8. उपरोक्त अपीलों में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में ये अपीलें भी निस्तारित की जाती हैं।

11. इसलिए, हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2019 के आदेश के तहत जारी निर्देश के अनुसरण में इस मामले को अंतिम रूप से गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तक पहुंचने की कोशिश की है। एक बार इस न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा कर दिया गया था जिसके विरुद्ध एस.एल.पी. बर्खास्त कर दिया गया, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र. सरकार, लखनऊ को इसके विपरीत आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने देवकी ननंद प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1983 लॉ सूट (एससी) 129 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि वास्तव में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ का आदेश अवमाननापूर्ण, विकृत है और रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री से समर्थित नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. प्रतिपक्षी श्री एम.सी. चतुर्वेदी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, श्री मोहनजी श्रीवास्तव की सहायता से, प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान वकील। 1, 2 और 3 और श्रीमती. एस. राठी, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश का बचाव करने का एक कमजोर प्रयास किया और प्रस्तुत किया। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि प्रश्न में भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या द्वारा हस्तांतरित किया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 तक। 4 और इसलिए, आक्षेपित आदेश जो प्रासंगिक पर आधारित है विचार और ठोस कारणों से समर्थित इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस रिट याचिका में योग्यता नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है।

14. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिकाकर्ता की भूमि के संबंध में मुख्य अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही से संबंधित मूल रिकॉर्ड सहित रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था।

15. इस रिट याचिका में हमारे विचार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ दो प्रश्न उठते हैं कि क्या निरसन अधिनियम, 1999 के लागू होने की तिथि पर, विवादित भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा याचिकाकर्ता के पास था या उसे वितरित कर दिया गया था। राज्य को और क्या याचिकाकर्ता निरसन अधिनियम का लाभ पाने का हकदार है?

16. उपरोक्त प्रश्नों की जांच करने के लिए, मूल अधिनियम और शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं:-

6. अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाले व्यक्तियों को विवरण दाखिल करना होगा-

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ में अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निर्धारित अवधि के भीतर, अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्थान, सीमा, मूल्य और ऐसे अन्य विवरण निर्दिष्ट करते हुए एक बयान दाखिल करेगा। जैसा कि सभी खाली भूमि और के लिए निर्धारित किया जा सकता है कोई अन्य भूमि जिस पर कोई इमारत है, चाहे उसमें कोई आवासीय इकाई हो या नहीं, उसके पास (उसके अधिकार, स्वत्व या हित की प्रकृति सहित) और अधिकतम सीमा के भीतर खाली भूमि को भी निर्दिष्ट करना है जिसे वह बनाए रखना चाहता है : बशर्ते कि किसी भी राज्य के संबंध में जिस पर यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, इस उप-धारा के प्रावधान ऐसे प्रभावी होंगे जैसे कि शब्दों के लिए "प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि है और इसकी शुरुआत अधिनियम", शब्द, अंक और अक्षर "प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 17 फरवरी, 1975 को या उसके बाद और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले अधिकतम सीमा से अधिक खाली

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भूमि है और प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि है ऐसे प्रारंभ पर सीमा " प्रतिस्थापित किया गया था। स्पष्टीकरण. -- इस धारा में, "इस अधिनियम के प्रारंभ" का अर्थ है, --

(i) वह तारीख जिस दिन यह अधिनियम किसी राज्य में लागू होता है;

(ii) जहां कोई भूमि, जो खाली भूमि नहीं है, उस राज्य में स्थित है जिसमें यह अधिनियम लागू है, किसी भी कारण से खाली भूमि बन गई है, वह तारीख जिस दिन ऐसी भूमि खाली भूमि बन जाती है;

(iii) जहां किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र के संबंध में धारा 2 के खंड (एन) के तहत कोई अधिसूचना जारी की गई है, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख जिसमें यह अधिनियम लागू है।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि --

(ए) किसी भी राज्य में जहां यह अधिनियम पहली बार लागू होता है, कोई भी व्यक्ति 17 फरवरी, 1975 को या उसके बाद और इस अधिनियम का प्रारंभ या ऐसे प्रारंभ पर कायम रहने से पहले आयोजित किया जाता है; या

(बी) किसी भी राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के तहत इस अधिनियम को अपनाता है, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ में, उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखता है।, यह ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस दे सकता है, जिससे उसे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विवरण दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

(3) सक्षम प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो इस धारा के तहत बयान दाखिल करने की तारीख को ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकता है जो वह उचित समझे; हालाँकि, इस तरह के विस्तार की अवधि या कुल अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी।

(4) इस धारा के तहत बयान दाखिल किया जाएगा, --

(ए) किसी व्यक्ति के मामले में, स्वयं व्यक्ति द्वारा; जहां व्यक्ति भारत से अनुपस्थित है, संबंधित व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; और जहां व्यक्ति अपने मामलों में भाग लेने से मानसिक रूप से अक्षम है, उसके अभिभावक या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(बी) परिवार के मामले में, पति या पत्नी द्वारा और जहां पति या पत्नी भारत से अनुपस्थित है या मानसिक रूप से अपने मामलों में भाग लेने में असमर्थ है, पति या पत्नी द्वारा जो अनुपस्थित नहीं है या मानसिक रूप से अक्षम है और जहां दोनों पति और पत्नी भारत से अनुपस्थित हैं या पति या पत्नी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

या दोनों की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके मामलों में भाग लेने में मानसिक रूप से अक्षम हैं;;

(सी) किसी कंपनी के मामले में, उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा;

(डी) किसी फर्म के मामले में, उसके किसी भागीदार द्वारा;

(ई) किसी अन्य एसोसिएशन के मामले में, एसोसिएशन के किसी सदस्य या उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा; और

(च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा। स्पष्टीकरण. -- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रधान अधिकारी" --

(i) किसी कंपनी के संबंध में, इसका मतलब कंपनी का सचिव, प्रबंधक या प्रबंध निदेशक है;

(ii) किसी भी एसोसिएशन के संबंध में, एसोसिएशन के सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या एजेंट का मतलब है, और इसमें कंपनी या एसोसिएशन के मामलों के प्रबंधन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शामिल है, जैसा भी मामला हो, जिस पर सक्षम हो प्राधिकरण ने उन्हें अपना प्रमुख अधिकारी मानने के उनके इरादे का नोटिस दिया है।

7. ऐसे मामलों में विवरण दाखिल करना जहां किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई खाली भूमि दो या दो से अधिक सक्षम प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में स्थित है --

(1) जहां कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक सक्षम प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में स्थित खाली भूमि रखता है, चाहे वह एक ही राज्य में हो या दो या अधिक राज्यों में जहां यह अधिनियम लागू होता है, तो वह धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसका बयान फाइल करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका प्रमुख भाग स्थित है और उसके बाद सभी बाद की कार्यवाही अन्य सक्षम प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारियों के बहिष्कार के लिए उस सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी। और सक्षम प्राधिकारी, जिसके समक्ष बयान दाखिल किया गया है, अन्य सक्षम प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारियों को इसकी सूचना भेजेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारित और उसी राज्य के भीतर दो या अधिक सक्षम प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में स्थित खाली भूमि की सीमा, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, बराबर है, तो वह धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत अपना बयान दाखिल करेगा। सक्षम प्राधिकारियों में से किसी एक के समक्ष और उसकी सूचना ऐसे प्रपत्र में राज्य सरकार को भेजेगी जो निर्धारित किया जा सकता है और उसके बाद, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण करेगी जिसके समक्ष इस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम के तहत सभी बाद की कार्यवाही की जाएगी। अन्य सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों का बहिष्कार और उस आदेश को ऐसे व्यक्ति और संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करना।

(3) जहां दो या दो से अधिक राज्यों में, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, दो या दो से अधिक सक्षम प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा रखी गई खाली भूमि की सीमा बराबर है, तो वह उप-धारा (1) के तहत अपना बयान दाखिल करेगा। धारा 6 सक्षम प्राधिकारियों में से किसी एक के समक्ष और उसकी सूचना ऐसे प्रपत्र में भेजेगी जो केंद्र सरकार को निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद, केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, सक्षम प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी का निर्धारण करेगी जिसके बाद की कार्यवाही को छोड़कर किया जाएगा या प्राधिकारियों और उस आदेश को ऐसे व्यक्ति, राज्य सरकारों और संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को संप्रेषित करेगा।

8. मसौदा वक्तव्य की तैयारी से अधिक रिक्त भूमि के संबंध में अधिकतम सीमा-

(1) धारा 6 के तहत दायर किए गए बयान के आधार पर और ऐसी जांच के बाद जिसे सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति के संबंध में एक मसौदा बयान तैयार करेगा जिसने धारा 6 के तहत बयान दर्ज किया है।

(2) उप-धारा (1) के तहत तैयार किए गए प्रत्येक विवरण में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात्: -

(i) व्यक्ति का नाम और पता;

(ii) सभी खाली भूमि और किसी अन्य भूमि का विवरण जिस पर कोई इमारत है, चाहे उसमें ऐसे व्यक्ति के पास कोई आवासीय इकाई हो या नहीं;

(iii) रिक्त भूमि का विवरण जिसे ऐसा व्यक्ति अधिकतम सीमा के भीतर रखना चाहता है;

(iv) रिक्त भूमि पर व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व या हित का विवरण; और

(v) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किये जा सकते हैं।

(3) मसौदा विवरण संबंधित व्यक्ति को निर्धारित तरीके से एक नोटिस के साथ भेजा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि मसौदा विवरण पर कोई भी आपत्ति उसकी सेवा के तीस दिनों के भीतर दर्ज की जाएगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली अतिरिक्त अवधि के भीतर, प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विधिवत विचार करेगा। वह व्यक्ति जिसे उस उप-धारा के तहत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मसौदा बयान की एक प्रति दी गई है और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।

9. अंतिम बयान. - धारा 8 की उपधारा (4) के तहत प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, के निपटान के बाद, सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त आपत्तियों पर पारित आदेशों के अनुसार मसौदा विवरण में आवश्यक परिवर्तन करेगा और निर्धारित करेगा संबंधित व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक धारित खाली भूमि और जहां ऐसी भूमि खाली हो, भूमि किसी पट्टे, या बंधक, या किराया खरीद समझौते, या अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत रखी गई है, ऐसी खाली भूमि के मालिक पर भी इस प्रकार संशोधित प्रारूप विवरण की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट तरीके से तामील कराई जाएगी।

10. सिलींग लिमिट से अधिक रिक्त भूमि का अधिग्रहण -

(1) संबंधित व्यक्ति पर धारा 9 के तहत विवरण की तामील के बाद जितनी जल्दी हो सके, सक्षम प्राधिकारी एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई खाली भूमि का विवरण दिया जाएगा और कहा जाएगा कि - -

(i) ऐसी खाली भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाना है; और

(ii) ऐसी खाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के दावे उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उनके एजेंटों द्वारा ऐसी भूमि में उनके हितों की प्रकृति का विवरण देते हुए किए जा सकते हैं, जिसे आम जनता की जानकारी के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। संबंधित राज्य और ऐसे अन्य तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में रिक्त भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सक्षम प्राधिकारी को किए गए दावों पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ऐसे दावों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करेगा और ऐसे पारित करेगा जैसा उचित समझे वैसा आदेश दें।

(3) उपधारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी, संबंधित राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकता है कि उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट अतिरिक्त खाली भूमि धारा (1) ऐसी तारीख से, जो घोषणा में निर्दिष्ट की जा सकती है, राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई मानी जाएगी और ऐसी घोषणा के प्रकाशन पर, ऐसी भूमि पूरी तरह से राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी। इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि से सभी बाधाओं से मुक्त।

(4) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने और उप-धारा (3) के तहत की गई घोषणा में निर्दिष्ट तिथि के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान -

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त खाली भूमि (उसके किसी भी हिस्से सहित) को बिक्री, बंधक, उपहार, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेगा और ऐसा कोई भी हस्तांतरण इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया कार्य शून्य और शून्य माना जाएगा; और

(ii) कोई भी व्यक्ति ऐसी अतिरिक्त खाली भूमि के उपयोग में परिवर्तन नहीं करेगा या परिवर्तन नहीं कराएगा।

(5) जहां कोई खाली भूमि उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार में निहित है, सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में नोटिस द्वारा, किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास उसका कब्जा हो, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को नोटिस की सेवा के तीस दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने या कब्जा देने का आदेश दे सकता है

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (5) के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी खाली भूमि पर कब्जा कर सकता है या इसे संबंधित राज्य सरकार या विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को दे सकता है या ऐसी राज्य सरकार इस संबंध में और उस उद्देश्य के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकती है जो आवश्यक हो। स्पष्टीकरण.--इस धारा 11 की के उप-धारा (1) एवं धारा 14 एवं 23 में "राज्य सरकार" के संबंध में--

(ए) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली किसी भी खाली भूमि का मतलब केंद्र सरकार है;

(बी) किसी भी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और केंद्र शासित प्रदेश में या छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 3 के तहत घोषित छावनी की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित कोई भी खाली भूमि, इसका मतलब है कि राज्य सरकार।

निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 और 4 इस प्रकार हैं:-

3. बचत.-

(1) मूल अधिनियम का निरसन प्रभावित नहीं करेगा--

(ए) धारा 10 की उपधारा (3) के तहत किसी भी खाली भूमि का अधिकार, जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति पर ले लिया गया है;

(बी) धारा 20 की उपधारा (1) के तहत छूट देने वाले किसी भी आदेश की वैधता या उसके तहत की गई कोई कार्रवाई, इसके विपरीत किसी भी अदालत के किसी भी फैसले के बावजूद;

(सी) धारा 20 की उपधारा (1) के तहत छूट देने की शर्त के रूप में राज्य सरकार को किया गया कोई भी भुगतान।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2)कहां--

(ए) किसी भी भूमि को मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार में निहित माना जाता है, लेकिन जिस पर राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं किया गया है इस ओर से या सक्षम प्राधिकारी द्वारा; और

(बी) ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किसी भी राशि का भुगतान किया गया है, ऐसी भूमि तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक कि भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार को वापस नहीं कर दी गई हो।

4. कानून का निवारण कार्यवाही- मूल अधिनियम के तहत किए गए या किए जाने वाले किसी भी आदेश से संबंधित सभी कार्यवाहियां इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले लंबित हैं एवं किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष समाप्त हो जाएगा: बशर्ते कि यह धारा मूल अधिनियम की धारा 11, 12, 13 और 14 से संबंधित कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगी, जहां तक ऐसी कार्यवाहियां भूमि से संबंधित हैं, जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है।

17. मूल अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधानों के अवलोकन से, यह पता चलता है कि धारा 6 में प्रावधान है कि अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्थान, सीमा निर्दिष्ट करते हुए एक बयान दाखिल करना आवश्यक था। खाली भूमि और किसी अन्य भूमि का मूल्य और ऐसे अन्य निर्धारित विवरण, जिस पर कोई इमारत थी, चाहे उसमें कोई आवासीय इकाई हो या नहीं, उसके पास हो।

18. धारा 7 उन मामलों में बयान दाखिल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है जहां किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई खाली भूमि दो या दो से अधिक सक्षम प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में स्थित थी।

19. धारा 8 में प्रावधान है कि धारा 6 के तहत दायर किए गए बयान के आधार पर और ऐसी जांच के बाद जो सक्षम प्राधिकारी करना उचित समझे, सक्षम प्राधिकारी मसौदा बयान तैयार करेगा।

20. धारा 8 (3) में कहा गया है कि धारा 8 के तहत तैयार किया गया मसौदा विवरण संबंधित व्यक्ति को एक नोटिस के साथ भेजा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि मसौदा बयान पर कोई भी आपत्ति उसकी सेवा के 30 दिनों के भीतर तैयार की जाएगी।

21. धारा 9 में प्रावधान है कि धारा 8 की उपधारा (4) के तहत प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, के निस्तारण के बाद सक्षम प्राधिकारी अंतिम विवरण तैयार करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

22. धारा 10 (1) में प्रावधान करती है कि संबंधित व्यक्ति पर धारा 9 के तहत विवरण की तामील के बाद, सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक धारित खाली भूमि का विवरण देते हुए एक अधिसूचना जारी करेगा। आम जनता की जानकारी के लिए संबंधित राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

23. धारा 10 (2) सक्षम प्राधिकारी को उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में दायर रिक्त भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के दावों पर निर्णय लेने का अधिकार देती है।

24. धारा 10 (3) में प्रावधान है कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी, संबंधित राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद कभी भी घोषित करती है कि उपधारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट अतिरिक्त खाली भूमि को ऐसी तारीख से प्रभावी माना जाएगा जो घोषणा में निर्दिष्ट की जा सकती है, राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई मानी जाएगी। ऐसी भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूर्णतः राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी।

25. धारा 10 (4) पूर्वोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त खाली भूमि (उसके किसी भी हिस्से सहित) को किसी भी व्यक्ति द्वारा बिक्री, बंधक, उपहार, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरण पर रोक लगाती है और इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया ऐसा कोई भी हस्तांतरण शून्य और अमान्य माना जाएगा और कोई भी व्यक्ति ऐसी अतिरिक्त खाली भूमि के उपयोग में परिवर्तन नहीं करेगा या परिवर्तन नहीं कराएगा।

26. धारा 10(5) सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार देती है कि उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार में निहित किसी भी खाली भूमि पर कब्जा करने वाले को लिखित रूप में तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने या कब्जा देने के लिए नोटिस देना होगा।

27. धारा 10 (6) में कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (5) के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, सक्षम प्राधिकारी खाली भूमि पर कब्जा कर सकता है या इसे संबंधित राज्य सरकार को दे सकता है या इस संबंध में ऐसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी व्यक्ति को और उस उद्देश्य के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

28. हमारी राय में, निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 और 4 के तहत जिस प्रकार के कब्जे पर विचार किया गया है, वह वास्तविक कब्जा है और केवल कागजी कब्जा नहीं है और यदि याचिकाकर्ता की भूमि का कब्जा, जिसे अधिशेष भूमि घोषित किया गया था, उसमें निहित है। राज्य सरकार द्वारा मूल अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और निरसन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम, 1999 के लागू होने की तिथि पर मूल अधिनियम की धारा 11, 12, 13 और 14 के तहत कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। याचिकाकर्ता निरसन अधिनियम, 1999 का लाभ पाने का हकदार है।

29. मूल अभिलेख के अवलोकन से, विचाराधीन भूमि के संबंध में मूल अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत अधिसूचना 28.02.1986 को प्रकाशित की गई थी, जबकि मूल अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत 25.05.1990 को नोटिस जारी किया गया था। और 28.07.1990 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 13.11.1992 का एक कब्जा ज्ञापन भी है, जिसकी प्रतिलिपि रिकॉर्ड में लाई गई है परिशिष्ट संख्या सी.ए.-4 प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दायर प्रत्युत्तर शपथपत्र के लिए रिट याचिका में, जिसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा कथित तौर पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लिया गया था। पजेशन मेमो में न तो उस व्यक्ति का नाम है जिससे प्रतिवादी नं. 2 ने प्रश्नाधीन भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था और न ही उक्त दस्तावेज़ पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

30. प्रत्यर्थियों संख्या - 1 से 3 का यह भी मामला नहीं है कि आधिकारिक राजपत्र में मूल अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत नोटिस के प्रकाशन के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी अधिशेष भूमि का भौतिक कब्जा प्रतिवादी को सौंप दिया था।

31. हमने मूल रिकॉर्ड को बहुत सावधानी से स्कैन किया है और हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि मूलधन की धारा 10 (6) के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा याचिकाकर्ता से जमीन पर जबरन कब्जा लिया गया था। दिनांक 13.04.1992 का कब्जा ज्ञापन एक दिखावटी दस्तावेज़ प्रतीत होता है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें यह मानने के लिए प्रेरित कर सके कि याचिकाकर्ता द्वारा धारा के तहत नोटिस के प्रकाशन के बाद याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थियों को शांतिपूर्ण ढंग से जमीन का कब्जा दे दिया गया था। मूल अधिनियम की धारा 10 (5) या प्रतिवादी सं. 2 ने याचिकाकर्ता से संबंधित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था।

32. इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि जिस तारीख को निरसन अधिनियम, 1999 लागू हुआ, उस दिन याचिकाकर्ता के पास प्रश्रुत भूमि का कब्जा था। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने अपने निर्णयों में स्पष्ट तथ्य दर्ज किए हैं कि विचाराधीन भूमि का कब्जा याचिकाकर्ता के पास था।

33. यूपी राज्य वी. हरि राम, (2013) 4 एससीसी 280 में शीर्ष अदालत ने कहा कि भूमि को निरसन अधिनियम के दायरे से बाहर करने के लिये क्या आवश्यक है कि शांतिपूर्ण बेदखली न होने की स्थिति में यह बलपूर्वक बेदखली का मामला होना चाहिए। शांतिपूर्ण बेदखली मूल अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत कार्यवाही से संबंधित है, जबकि, बलपूर्वक बेदखली मूल अधिनियम की धारा 10 (6)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के तहत कार्यवाही से संबंधित है, हरि राम (उपरोक्त) के पैरा 39 के तहत, न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:—

"39. उपर्युक्त निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि उप-धारा (3) केवल वैधानिक कब्जा लेती है, वास्तविक कब्जा नहीं, इसलिए, भूमि मालिक धारा 10 की उप-धारा (3) या धारा 10 (5) के तहत नोटिस के बाद आत्मसमर्पण करना या कब्जा देना, या बल प्रयोग द्वारा बेदखली के तहत, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने खाली भूमि पर कब्जा कर लिया है।"

(प्रभाव वर्धित)

34. रिकॉर्ड पर एक और दस्तावेज है जो दर्शाता है कि राज्य सरकार ने कथित तौर पर प्रतिवादी संख्या 4 को दिनांक 30.03.1993 को भूमि का कब्जा दे दिया था।, जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या सी.ए.-5 के लिये प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से रिट याचिका में दायर प्रत्युत्तर शपथपत्र के रूप में रिकॉर्ड में लायी गयी है।

35. हमारा मानना है कि अधिशेष भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा न तो स्वेच्छा से सरकार को सौंपा गया है और न ही सरकार द्वारा बलपूर्वक लिया गया है, सरकार द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में अधिशेष भूमि के कब्जे का कोई हस्तांतरण कागज पर, उसमें उल्लिखित सरकारी आदेशों के अनुसरण में, कोई प्रासंगिकता या परिणाम नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में ऐसा कागजी लेन-देन राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के अधिकारों को हराना कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

36. लल्ला बनाम. यूपी राज्य 2014 (9) एडीजे 524 में इस न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 11 में निम्नानुसार कहा है:—

"कानून सरकारी आदेशों द्वारा कब्जे के हस्तांतरण पर विचार नहीं करता है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए भूमि स्थानीय अधिकारियों/विकास प्राधिकरणों में तभी निहित होगी जब राज्य अधिनियम की धारा 10 (5) या 10 (6) के तहत वैध कार्यवाही के अनुसार भूमि पर वैध कब्जा कर लेगा।। स्थानीय प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण केवल राज्य सरकार के जूते में कदम रखते हैं। यदि राज्य सरकार ने कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रश्न में भूमि पर कब्जा नहीं किया है, जैसा कि कानून द्वारा विचार किया गया है, स्थानीय अधिकारियों/विकास प्राधिकरणों के पक्ष में कब्जे का हस्तांतरण सरकारी आदेश के तहत नहीं माना जा सकता है। यदि शीर्ष न्यायालय द्वारा पहले से ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य द्वारा भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है, स्थानीय प्राधिकारी/विकास प्राधिकारी केवल सरकारी आदेश के आधार पर भूमि पर स्वतंत्र अधिकार का दावा नहीं कर सकते।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

37. इस प्रकार, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता की अधिशेष भूमि का वास्तविक भौतिक कब्ज़ा राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता से कभी नहीं लिया गया था और याचिकाकर्ता निरसन अधिनियम, 1999 के लागू होने की तारीख पर प्रश्नाधीन भूमि के कब्जे में था। यह रिट याचिका अनुमति दिये जाने योग्य है।

38. तदनुसार, रिट याचिका अनुमत है।

39. आक्षेपित आदेश दिनांक 06.08.2018 को निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थियों को राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी-राज्य का नाम हटाने और याचिकाकर्ता का नाम बहाल करने का निर्देश जारी किया जाता है, जो प्रश्नगत में भूमि का मालिक है।

आदेश दिनांक :- 11.06.2020

केएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।